रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.34004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 13, 1993/आश्विन 21, 1915

No. 40] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 1993/ASVINA 21, 1915

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना स - 68

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1993

स ई.पी.-39-3/83 खण्ड.- खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एव केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय खाद्य निगम, भा खा नि (मृ. एव से नि उपदान) विनियम, 1967 को सशोधित करने के लिए एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है -

1. (1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु एव सेवा निवृत्त उपदान) (प्रथम सशोधन) विनियम, 1993 कहे जायेगे।

(2) ये सशोधन दिनाक 1-1-1986 से लागू माने जायेगे।

2 भारतीय खाद्य निगम (मृ एव से नि उपदान) विनियम, 1967 के विनियम 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्निहित/जोडे जायेगे —

विनियम स	जोडे गये/सशोधित उप-विनियम
1	2
4 (2) परिस्थितिया	1 उपदान उन कर्मचारियो को देय नही होगा जिन्होने पाच वर्षो की सेवा पूरी करने से पूर्व नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। (निर्दिष्ट रूप स्वीकृत योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को इस्तीफा नही माना जायेगा),
	2 कर्मचारी को जिसकी सेवाए किसी कार्य, जानबूझकर असावधानी या लापरवाही के कारण नियोक्ता की सपत्ति को क्षति या नुकसान पहुचाने के कारण समाप्त कर दी गई है, तो उसकी उपदान क्षति या नुकसान के बराबर जब्त कर लिया जाएगा;
	3 किसी कर्मचारी को देय उपदान सपूर्ण या आशिक रूप से जब्त किया जा सकता है यदि
	(क) ऐसे कर्मचारी की जिसकी सेवाएं यदि उसके दगा या अनुशासनहीनता या व्यवहार या कोई उसके द्वारा अन्य हिंसा के कारण समाप्त की गई है,
	या

1	2
	(ख) ऐसे कर्मचारी की जिसकी सेवाएं यदि उसके ऐसे किसी कार्य जो नैतिक चरित्रहीनता का अपराध है, के कारण समाप्त की जा चुकी है, बशर्ते कि ऐसा अपराध उसके द्वारा नौकरी के दौरान किया गया हो।

विनियम 4 (5) (क)

कर्मचारियों को उपदान का तुरन्त भुगतान किया जाना है, जहां भी इस विनियम के अनुसार देय है तथा प्रत्येक दशा में भुगतान संबंधित कर्मचारियों को देय तिथि से 30 दिन के अन्दर हो। यदि किसी कारणवश निगम द्वारा उपदान का भुगतान कर्मचारी को देय तिथि से 30 दिन के अन्दर नहीं किया गया है तो संबंधित कर्मचारी को साधारण ब्याज का भुगतान ऐसी दर पर उपदान भुगतान की तिथि तक किया जायेगा जो लम्बी अवधि की जमाओं के वापसी भुगतान के लिये केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचित दर से अधिक नहीं हो। तथापि ऐसा ब्याज कर्मचारी को देय नहीं होगा यदि भुगतान में देरी कर्मचारी की गलती से हुई हो और निगम के इस आधार पर भुगतान में देरी के लिए लिखित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ले ली हो।

विनियम 4 (5) (ख)

उपदान भुगतान की देरी पर ब्याज की मंजूरी के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी विनियम 4(5) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

वर्ग	कार्यालय	सक्षम प्राधिकारी
सभी वर्ग	मुख्यालय/के.प्र.सं./परि. का. प्रभाग	कार्यकारी निदेशक (कार्मिक,
सभी वर्ग	आं.का./क्षे.का. सं.प्र. (बं.का.) जिला कार्यालय	आंचलिक प्रबन्धक

विनियम 4(2) एवं 4 (5) (क) का विवरणात्मक ज्ञापन

भा.खा.नि. (मृ. एवं से.नि. उपदान) विनियम, 1967 डी.पी.ई. उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की .....मॉडल उपदान योजना के आधार पर है, जैसा कि डी.पी.ई. का.ज्ञा. सं 2 (29)/75-डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.) दिनांकित 23 जून 1988 में दिया हुआ है तथा भा.खा.नि. में दिनांक 1-1-1986 से प्रभावी अधिसूचना सं. 53 दिनांकित 19 अप्रैल, 1990 के द्वारा विनियम 4(2), 4, 5 (1), 5(2) तथा 5(4) को संशोधित करके अपनाया गया। डी.पी.ई. ने का.ज्ञा. सं. 2(29) 75-डी.पी.ई. डब्ल्यू.सी. दिनांकित 27-5-1992, 11-6-1992 तथा 22-10-1992 के द्वारा दिनांक 1-1-1986 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ अपने पूर्व का.ज्ञा. दिनांकित 23-6-1988 को आगे संशोधित किया।

ये संशोधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऐसे भुगतानों में देरी के कारण हुई कठिनाई से बचाने के लिए आवश्यक थे तथा इस्तीफा के मामले के साथ-साथ अनुशासनहीनता के व्यवहार आदि के कारण बरखास्तगी के मामले में उपदान के भुगतान में अधिक प्रतिबंध लगाने को भी आवश्यक थे। जैसे कि ये सार्वजनिक उद्यमों को सरकारी निर्देश है, यह निगम इन निर्देशों को भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू करने को बाध्य है।

एस.एन. शर्मा, सचिव

भा.खा नि. (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान) विनियम, 1967 में हुए पूर्ववर्ती संशोधनों की सूची

क्रम सं.	शीर्षक	राजपत्र का अंश	प्रकाशन की तिथि
1	2	3	4
1.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) विनियम, 1967	III खण्ड 4	9-9-67
2.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1976	"	26-10-76
3.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1978	"	3-11-78
4.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (तृतीय संशोधन) विनियम, 1978	"	16-11-78
5.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 1981	"	25-7-81
6.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (पांचवां संशोधन) विनियम, 1982	"	28-8-82
7.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (6वां संशोधन) विनियम, 1982	"	2-10-82
8.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (7वां संशोधन) विनियम, 1983	"	5-11-83
9.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (8वां संशोधन) विनियम, 1986	"	14-10-86
10	भा.खा नि. (मृ.त.से.उ.) (9वां संशोधन) विनियम, 1986	"	31-10-86
11.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (10वां संशोधन) विनियम, 1988	"	19-4-88
12.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (पहला संशोधन) विनियम, 1990	"	19-4-90
13.	भा.खा.नि. (मृ.त.से.उ.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990	"	19-4-90
14.	भा.खा नि. (मृ.त.से.उ.) (पहला संशोधन) विनियम, 1991	"	9-8-91

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO. 68

New Delhi, the 12th October, 1993.

No. EP. 39-3/83 Pt.: In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations to amend the FCI (DCRG) Regulations, 1967.

1. (1) These regulations shall be called the Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) (1st Amendment) Regulation, 1993.

(2) These amendments shall be deemed to have come into force w.e.f. 1-1-1986.

II. The following sub-regulations under Regulation 4 of the FCI (DCRG) Regulations, 1967 shall be inserted/added as under :

Regulation No.	Added/Amended sub-Regulations
4(2) Circumstances :	(i) Gratuity will not be payable to employees who resign from services before completing five years of service. (Voluntary retirement under a duly approved scheme would not constitute resignation);
	(ii) Gratuity of an employee whose services have been terminated for any act, wilful omission or negligence causing any damage or loss to, or destruction of property belonging to the employer, shall be forefeited to the extent of damage or loss so caused:
	(iii) Gratuity payable to an employee may be wholly or partially forefeited:
	(a) If the services of such employee have been terminated for his/her riotous or disroderly conduct or any other act of violence of his/her part, or
	(b) If the services of such employee have been terminated for any act which constitute an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed by him in the course of his employment.

REGULATION 4(5)(a)

The employees are to be paid gratuity immediately wherever due as per this regulation and in any case within 30 days from the date it becomes payable to the employees concened. If for any reason the amount of gratuity payable to the employee is not paid by the Corporation within 30 days from the date on which gratuity had become payable simple interest at such rate not exceeding the rate notified by the Central Government from time to time for repayment of long term deposits, shall be paid to the employee concerned upto the date of payment of gratuity. However, no such interest shall become payable to the employee if the delay in the payment is due to the fault of the employee and the Corporation had obtained permission in writing from the concerned authority for the delayed payment on this ground.

REGULATION 4(5)(b)

The cometent authority for the purpose of sanction of interest on the delayed payment of gratuity under Regulation 4(5)(a) would be the authorities indicated hereunder:

Category	Office	Authority Competent
All Categories	Hqrs. /CTI/PID	Executive Director (Personnel)
All Categories	ZO/RO/JMs(PO)/ Distt. Offices	Zonal Manager

EXPLANATORY MEMORANDUM TO REGULATION 4(2) & 4(5)(a)

The FCI (DCRG) Regulations, 1967 are based on the Model Gratuity Scheme of the DPE, Ministry of Industry Government of India, as contained in DPE O.M No. 2(29)/75—DPE(WC) dated 23rd June, 1988 and adopted in the F.C.I. by amending Regulation 4(2), 4(4), 5(1), 5(2) and 5(4) vide notification No. 53 dated 19th April, 1990 effective from 1-1-1986. The DPE vide O.M. No. 2(29)/75 DPE WC dated 27-5-1992, 11-6-1992 and 22-10-92 has further amended their earlier O.M. dated 23-6-1988 with retrospective effect from 1-1-1986. These amendments were necessitated to avoid hardship to the retired employees due to delay in releasing such payments and also to bring more restrictions in payment of gratuity in case of resignation as well as termination due to disorderly conduct etc. As these are Government directives to PSEs, this Corporation is under an obligation to implement the same with retrospective effect.

S.N. SHARMA, Secy.

LIST OF PREVIOUS AMENDMENTS TO THE FCI (DCRG) REGULATIONS, 1967

Sl. No.	Title	Part of Gazette	Date of Publication
1	2	3	4
1.	FCI (DCRG), Regulations, 1967	III Section 4	9-9-1967
2.	FCI (DCRG), (1st Amendment) Regulations, 1976.	-do-	26-10-1976
3.	FCI (DCRG), (2nd Amendment) Regulations, 1978.	-do-	3-11-1978
4.	FCI (DCRG), (3rd Amendment) Regulations, 1978.	-do-	16-11-1978
5.	FCI (DCRG), (4th Amendment) Regulations, 1981.	-do-	25-7-1981
6.	FCI (DCRG), (5th Amendment) Regulations, 1982.	-do-	28-8-1982
7.	FCI (DCRG), (6th Amendment) Regulations, 1982.	-do-	2-10-1982
8.	FCI (DCRG), (7th Amendment) Regulations, 1983.	-do-	5-11-1983
9.	FCI (DCRG), (8th Amendment) Regulations, 1986.	-do-	14-10-1986
10.	FCI (DCRG), (9th Amendment), Regulations, 1986.	-do-	31-10-1986
11.	FCI (DCRG), (10th Amendment) Regulations, 1988.	-do-	19-4-1988
12.	FCI (DCRG), (1st Amendment) Regulations, 1990.	-do-	19-4-1990
13.	FCI (DCRG), (2nd Amendment) Regulations, 1990.	-do-	19-4-1990
14.	FCI (DCRG), (1st Amendment) Regulations, 1991.	-do-	09-8-1991

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993